भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2477
13 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

†2477. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि देश की 77 प्रतिशत आबादी को परिवेशी वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है जो सुरक्षित राष्ट्रीय सीमा से अधिक है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड इससे सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं तथा वायु प्रदूषण के कारण 26 प्रतिशत असामयिक मौतें/बीमारी के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वतंत्रता के समय और वर्तमान समय में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इनमें से प्रत्येक पहलू की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने मॉडलिंग के आधार पर अनुमान/आकलन विकसित करने के लिए एक अध्ययन में साझेदारी की थी जिसका पेपर प्रकाशन दि लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ 2018 में 'दि इम्पैक्ट ऑफ़ एयर पॉल्यूशन ऑन डेथस, डिजीज बर्डन, एंड लाइफ एक्सपैक्टन्सी अक्रॉस दै स्टेट्स ऑफ़ इंडिया: दि ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज स्टडी 2017' शीर्षक से किया गया था। इन मॉडल आधारित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण से संबंधित वैश्विक विकलांगता-समायोजित जीवनकाल (DALYs) में भारत का योगदान 26.2% था। भारत की लगभग 76.8% जनसंख्या वार्षिक जनसंख्या-भारित औसत कणिका तत्व (PM) 2.5 स्तर 40 $\mu g/m^3$ से अधिक के संपर्क में थी। वर्ष 2017 में उत्तर भारत में दिल्ली का वार्षिक जनसंख्या-भारित औसत PM2.5 सबसे अधिक था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा का स्थान था।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसने केंद्रीय और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा अन्य हितधारकों की भागीदारी से एक व्यापक, समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 130 गैर-प्राप्ति और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया था। इसमें स्रोत-विशिष्ट शमन उपायों के माध्यम से शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया जाता है। इन योजनाओं का लक्ष्य वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन उत्सर्जन, कचरा जलाना, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियाँ तथा औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यह कार्यक्रम केंद्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत (AMRUT), स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, पीएम ई-ड्राइव, दीर्घकालिक परिवहन सतत विकल्प (एसएटीएटी), नगर वन योजना के साथ-साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, नगर निगमों और अन्य विकास प्राधिकरणों के संसाधनों के संचालन पर भी बल देता है।

इसके अलावा, सरकार ने PM2.5 स्तरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन और वाहन मानकों पर जाना, ई-मोबिलिटी और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, जिसे स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वीवीएमपी) के माध्यम से लागू किया गया, समय-समाप्ति वाहनों (ईएलवी) के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढाँचे का कार्यान्वयन शामिल है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी गैर-प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण-पोर्टल (PRANA-Portal) के माध्यम से की जाती है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पहल प्रतिवर्ष विभिन्न वायु गुणवत्ता सुधार उपायों के कार्यान्वयन के आधार पर 130 शहरों को रैंक देने के लिए आयोजित की जाती है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वार्ड-स्तरीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए जारी दिशा-निर्देश वायु गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में जागरूकता और जनभागीदारी को प्रोत्साहन देते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्याओं में बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का गठन किया है। आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के चरम के महीनों में आमतौर पर बनी रहने वाली स्थिति के लिए चिन्हित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाने वाला वायु प्रदूषण स्तर की गंभीरता के आधार पर आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों का एक तंत्र प्रदान करता है। गतिशील मॉडल और दैनिक मौसम पूर्वानुमान के आधार पर, जीआरएपी के चरण I, II, III और IV के अंतर्गत कार्रवाई पहले से ही लागू की जाती है, क्योंकि इस बात का अनुमान है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) समग्र मौसम संबंधी स्थितियों और मानवजनित गतिविधियों के आधार पर उस चरण के अनुमानित स्तर तक पहुँच जाएगा। जनता को लगभग वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डाटा और प्रति घंटा एक्यूआई उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप-समीर (SAMEER) भी क्रियाशील है। समीर ऐप एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में भी कार्य करता है, जो संबंधित एजेंसियों द्वारा शीघ्र समाधान के लिए नागरिक प्रदूषण संबंधी शिकायतें दर्ज करने की

सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) ने वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक संरचित तंत्र विकसित किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी और अब सभी राज्यों ने राज्य कार्य योजनाएँ विकसित कर ली हैं। प्रत्येक वर्ष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य मामलों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श जारी किया जाता है ताकि स्वास्थ्य पेशेवरों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और आम जनता को वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने, बचाव करने और रोकने के लिए *क्या करें और क्या न करें* की जानकारी मिल सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी दिशा-निर्देश तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि जन-जागरूकता बढ़ाई जा सके। बच्चों के लिए अलग से आईईसी सामग्री विकसित की गई है। वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय दिवसों पर देशव्यापी अभियान चलाए गए हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

*****